न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 164/2007

...डूलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति बैरवा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नेनगी बेवा पीरूलाल जाति बैरवा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

निर्णय दिनांक : 27.12.2018

दायरा दिनांक: 17.02.2007

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी कम 1 वादी की सगी काकी है जिसने पुत्र न होने से वादी को बचपन से अपने पास मौखिक रूप से दोनो पक्षो की सहमति से गोद लेकर पुत्र वत रखा है। वादी के काका स्वर्गीय पीरूलाल की मृत्यु पर समस्त रिश्तेदारान की मौजूदगी में पगडी दस्तूर वादी के सिर किया गया है व उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। प्रतिवादी के पास सम्पत्ति के नाम पर एक मकान वाके सीमल्या व विवादित आराजी खसरा नं0 359 रकबा 0.40 है0 वाके माल चैनपुरिया पटवार हल्का शाहपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है प्रतिवादनी वृद्धावस्था होने से सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है तथा इसी का नाजायज लाभ उठाने की गरज से तथा सम्पत्ति के लालच में अन्य लोगो के बहकाने में आकर सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी ने पूर्व में ग्राम सीमल्या का पैतृक मकान की बैचने का प्रयास किया था। जिस पर वादी ने माननीय सिविल न्यायालय मांगरोल से स्थगन प्राप्त कर रूकवाया जो दावा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि सादर डिक्री प्रतिवादी कम 1 विवादित आराजी माल चैनपुरिया खसरा नं0 359 रकबा 0.40 है0 को रहन, बैचान नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कम 1 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब दावा निम्नानुसार है :–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 आंशिक स्वीकार है। प्रतिवादी नं0 1 ने वादी को कभी भी गोद पुत्र नही माना है।

02. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 में सिविल जज जुनियर डिवीजन व न्यायायिक मजिस्ट्रेट मांगरोल के न्यायालय में वाद विचाराधीन में होना स्वीकार है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 व 8 कानूनी है।

विशेष कथनः– खसरा नं0 359 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम चैनपुरिया तहसील मांगरोल की आराजी प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज हो रही हैं जिसकी प्रतिवादी नं0 1 तन्हा मालिक व स्वामिनी है। तथा आराजी संबंधि सभी अधिकार प्राप्त है। वादी प्रतिवादी नं0 1 पर दबाव बनाकर आराजी को हडपना चाहता है जिसका कि उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी बलपूर्वक आराजी पर कब्जा करना चाहता है। तथा प्रतिवादी नं0 1 को बेदखल करना चाहता है। वादी को प्रतिवादी नं0 1 ने कभी भी गोद पुत्र नही माना है और न ही गोद पुत्र रखा है गौद पुत्र का लिखित में कोई दस्तावेज नही है, आराजी को हडपने की नियत से वादी प्रतिवादी नं0 1 का गोद पुत्र बनने की कोशिश कर रहा है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

01. आया वादी प्रतिवादी का गोद पुत्र है। वादी
02. आया वादी प्रतिवादी के खिलाफ ग्राम चैनपुरिया की आराजी खसरा नं0 359 रकबा 0.40 है0 भूमि में रहन बैचान करने पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर रोकने के अधिकारी है। वादी
03. आया प्रतिवादी के नाम उक्त भूमि गैर खातेदारी होने के कारण न्यायिक व सही है। वादी जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी
04. आया वादी को प्रतिवादी ने कभी कोई गोद पुत्र नही रखा। प्रतिवादी
05. अनुतोष

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 मोडूलाल पीडब्ल्यू 2 रामगोपाल के बयान करवायें है, दस्तावेजी साक्ष्य में एक्स 1 जमाबंदी ग्राम चैनपुरिया खातेदार नैनगी बाई बेवा पीरूलाल पेश की है। प्रतिवादी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य में एक्स डी 1 निर्णय दिनांक 06.03.2013 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0 ख0) मांगरोल पेश किया है, मौखिक साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही किया है।

...बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के अनुसार निम्न तनकीवार निर्णय दिया जा रहा है:–

...नं0 1 व 2 – इन दोना तनकीयों को साबित करने का भार वादी पर है दौनो तनकीया समान व ...दूसरे से मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है। पीडब्ल्यू 1 वादी मोडूलाल ने अपनी ...में बताया है कि पीरूलाल व नैनगी बाई ने मेरे पक्ष में कोई वसीयतनामा, दानपत्र या गोदनामा नही लिखवाया है इस जमीन का खातेदार नैनगीबाई है जमाबंदी प्रदर्श–1 है। जमीन को कौन काश्त करता है यह भी पता नही है, पीडब्ल्यू 2 रामगोपाल की साक्ष्य भी वादपत्र का समर्थन नही करती है। एक्स डी 1 न्यायालय सी0 जे0 मांगरोल का निर्णय है उक्त निर्णय के अनुसार वादी मोडूलाल का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज फरमाया गया था, निर्णय के पढने से इस वाद के तथ्य समान है दीवानी न्यायालय ने मोडूलाल वादी को पीरूलाल, नैनगीबाई का गोद पुत्र नही माना है। वादी खसरा नं0 359 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम चैनपरिया की आराजी पर प्रतिवादी नैनगीबाई के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है जो कानून उचित नही है क्योकि प्रतिवादिया आराजी की गैरखातेदार व स्वामी है तथा खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है वादी मोडूलाल के पास ऐसा कोई दस्तावेज नही है, जिससे यह साबित हो कि वादी नैनगीबाई का गोदपुत्र हो।

उपरोक्त विवेचन व निर्णय दीवानी न्यायालय दिनांक 06.03.2013 की रोशनी में तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादिया के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 3 व 4:– इन दौनो तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादिया कम 1 पर था, लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही हुई है मात्र एक्स डी 1 निर्णय दिवानी न्यायालय दिनांक 06.03. 2013 दोराने जिरह गवाह पेश किया है। जमाबंदी ग्राम चैनपुरिया एक्स 1 व निर्णय एक्सडी 1 की रोशनी में वादी मोडूलाल नैनगी बाई का गोद पुत्र नही है नैनगी बाई खातेदार व स्वामी होने से तनकी नं0 3 व 4 प्रतिवादिया नैनगी बाई के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

दादरसी– तनकी नं0 एक व 2 वादी साबित करने में असफल रहा है, अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। डिकी बनायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।